ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

अत्यावश्यक / अति महत्वपूर्ण

पत्र संख्या– 2610 / भा0वि0वि0 / प0नि0का0 / 2025 दिनांक : 16 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–5914 / 32–जी0एस0 / 2025 / 103–3, दिनांक 26.06.2025 के द्वारा यह निर्देश प्रदान किय गये थे कि विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अग्रतर यह भी आदेश प्रदान किये गये कि यदि किसी छात्र–छात्रा की 75 प्रतिशत से उपस्थिति कम होगी तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

राज भवन के उक्त निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / विषयप्रभारी को कुलसचिव के पत्र संख्या–1479 / भाविवि / कुसका / 2025 / 253 / 24(6) दिनांक 28 अगस्त, 2025 के द्वारा सूचित किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 को आयोजित हुए विश्वविद्यालय के दशम् दीक्षान्त समारोह–2025 में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के दौरान भी माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा भी यह आदेश प्रदान किये गये कि छात्रगणों को कक्षाओं में एवं व्यक्तिगत रूप से भी 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति के सम्बन्ध में अगवत कराया जाये।

अतः राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 26.06.2025 एवं माननीय कुलाधिपति महोदया के मौखिक आदेश के अनुपालन में समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / विषय प्रभारी को पुनः सूचित किया जाता है कि **छात्रगणों की 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें।** इसके लिए **नोटिस बोर्ड पर उक्त सूचना को चस्पा करें एवं कक्षाओं में छात्र / छात्राओं को उक्त सूचना से अवगत कराये तथा छात्र / छात्राओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण किये जाने हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करें।**

अतः समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / विषय प्रभारी से अपेक्षा है कि **सैद्धान्तिक परीक्षा से पूर्व सभी छात्र–छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करा ली जाय। यदि किसी छात्र / छात्रा की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है तो उसे किसी भी दशा में परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।**

राज भवन के उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

16.10.2025
(विकास)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. समस्त शिक्षकों को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित करना सुनिश्चित करें।
4. अधिष्ठाता, शैक्षणिक।
5. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. समस्त सूचना पटलों पर चस्पा करने हेतु।
7. सम्बंधित पत्रावली / गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक